

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री मती आणकी बनाम दयाराम (संगीत)

स मुसयमा ..... 11-12-2021 ..... नं० 149 ..... सन् 2021 .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
मे जारी हुए

21 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 1-12-21 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

12/12/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021  
केस्य ग्राम पंचायत भीमडियास मे पेश  
हुई, अपाक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर  
प्राप्त हुए एवं तहसीलदार मोडल से माँका  
विपटि प्राप्त हुई जिसे शा-पबकिया बाबा/  
प्राक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
निठपि सयक से लिखन जाकर शामिल पत्रावली  
किया बाबा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

डॉ. पूजा सुक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 149/21 प्रा पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्रीमती अण्डी वं. देवी देगीगा-गियासी-गोकुलपुर तहसील-मांडल (भीलवाड़ा) --प्राथी

1- श्री पधाराम शं. छोगा बुर्जर गियासी-गोकुलपुर तहसील-मांडल (भीलवाड़ा) (सिद्धांतिक प्रमाणित)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....<sup>भीलवाड़ा</sup> पटवार हल्का.....<sup>भीलवाड़ा</sup> तहसील मांडल/में उसके

रकबा.....<sup>1.8590</sup> हेक्टेयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते

/संयुक्त खातों की आराजी नं. <sup>62, 63, 727, 728</sup> कुल किता .....<sup>04</sup> प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक <sup>3-11-21</sup> को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को

अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....<sup>भीलवाड़ा</sup> पटवार हल्का.....<sup>भीलवाड़ा</sup> तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. <sup>62, 63, 727, 728</sup> रकबा.....<sup>1.8590</sup> हेक्टेयर.....<sup>04</sup> कुल किता.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....<sup>भीलवाड़ा</sup> को <sup>700/-</sup> रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने साबित होने पर पत्थरगद्दी को 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021